प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर, वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2023, दिनांक 01/3/2023

2. (I) अधिनियम ... धारायेंः– धारा 7 पी0सी0 (संशोधित) एक्ट 2018
(II) अधिनियम .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....11..... समय 7:15 P.M.
(ब) अपराध घटने का वार.....मंगलवार.....दिनांक 28.02.2023 समय 3.40 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 23.02.2023

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिकः– लिखित

5. घटनास्थल :– साम्भर लेक
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब पश्चिम दिशा में करीब 105 कि0मी0
(ब) पता..... पटवारघर पटवार हलका कोरसीन, साम्भर लेक।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री गणेशराम
(ब) पिता/पति का नामः– श्री देवकरण
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 28 साल.....
(द) राष्ट्रीयताः– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याः– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसायः–ठेकेदारी
(ल) पताः– ग्राम डोडवाडा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्री राहुल स्वामी पुत्र श्री लालचंद स्वामी, जाति स्वामी, उम्र 27 साल, निवासी शीतलामाता की गली, छोटा बाजार, साम्भर लेक, हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार हलका दोबडी, अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका कोरसीना, पंचायत समिति साम्भर लेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 15,000/– रूपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 15,000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 23.02.2023 को अति0 पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग भ्र नि ब्यूरो जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री गणेश राम पुत्र देवकरण गुर्जर, निवासी– डोडवाडा, तहसील, फुलेरा, जिला जयपुर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री गणेश राम को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आयी तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईडब्लू, ए.सी.बी. जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री गणेश राम ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इसपर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मेरा नाम गणेशराम गुर्जर है व मैं डोडवाडा, सांभरलेक, जयपुर का रहने वाला हूँ। मैनें और मेरे भाई गिरधारी ने हमारे गांव में 11 बीघा जमीन दिसम्बर 2022 व 32 बीघा जनवरी 2023 में खरीदी है, जिसके नामान्तरण के लिए हमने श्री राहुल पटवारी, पटवार हल्का कोरसीना को रजिस्ट्री दस्तावेज दिये थे। 11 बीघा जमीन के नामान्तरण के लिए दिनांक 28/12/2022 को एवं 32 बीघा जमीन के लिए 22/1/2023 को हमने रजिस्टरी व दस्तावेज श्री राहुल, पटवारी को दिये थे। जिसमें से 11 बीघा जमीन का नामान्तरण हो चुका है। पटवारी मेरे, मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी के नाम शेष 32 बीघा जमीन का नामान्तरण नहीं खोल रहा है एवं नामान्तरण खोलने के लिए 40,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। श्री राहुल, पटवारी, पटवार हल्का कोरसीना को 6000 रिश्वत के दे चुके है एवम् पटवारी नामान्तरण खोलने के लिए 34000 रू रिश्वत और मांग रहा है। मैं पटवारी राहुल को रिश्वत राशि नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। पटवारी श्री राहुल से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है तथा किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत रूपये का लेन देन या उधार का मामला नहीं हैं, रिपोर्ट करता हूँ कानूनी कार्यवाई करने की कृपा करें।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांक 23.02.2023 को कार्यालय के श्री उदयपाल सिंह कानि. 550 का परिवादी से आपस में परिचय करवाकर उन्हें कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर उपलब्ध करवाया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात सायं 6.00 बजे श्री उदयपाल सिंह कानि. ने जरिये मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं और परिवादी श्री गणेशराम

सांभरलेक पहुंचे जहां परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को फोन किया तो संदिग्ध आरोपी ने आज व्यस्त होने के कारण मिलने के लिए समय नहीं होना बताया, जिसपर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व श्री उदयपाल सिंह कानि. को आवश्यक हिदायत की गई। उसके बाद दिनांक 24.02.2023 को दोपहर 2.50 बजे श्री उदयपाल कानि. 550 ने जरिए मोबाईल मन पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि आज प्रातः करीब 10.30 बजे परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को फोन किया तो संदिग्ध आरोपी ने स्वयं को कोरसीना हल्के में ही होना बताया, जिस पर आरोपी ने परिवादी को बताया कि मैं आप की तरफ ही आ जाउंगा और आपको मिलने की जगह बता दूंगा। उसके बाद दोपहर करीब 12.00 बजे परिवादी के मोबाईल पर संदिग्ध आरोपी का फोन आया और बताया कि मैं आपको आधा घण्टे बाद रिणगी बस स्टेण्ड पर मिलूगां, जिस पर मैं और परिवादी श्री गणेशराम रिणगी बस स्टेण्ड के पास पहुंचकर संदिग्ध आरोपी के आने का इन्तजार करने लगे। बस स्टेण्ड पर संदिग्ध आरोपी के आने पर दोपहर करीब 01.20 बजे परिवादी के वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया। मैं कुछ ही दूरी से परिवादी व संदिग्ध आरोपी को देख रहा था। परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाकर दिया था जिसे मैने बन्द कर मेरे पर सुरक्षित रख लिया है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता करने पर परिवादी ने श्री उदयपाल कानि0 की बातों की ताईद करते हुए बताया कि आज मैंने संदिग्ध आरोपी को फोन किया था तब आरोपी ने मिलने हेतु रिणगी बस स्टेण्ड पर बुलाया जिस पर मै और श्री उदयपाल सिंह कानि. रिणगी बस स्टेण्ड पहुंचकर संदिग्ध आरोपी के आने का इन्तजार करने लगे। संदिग्ध आरोपी श्री राहुल पटवारी व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति श्री दुलीचन्द के आने पर श्री उदयपाल कानि0 ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करके सपुर्द किया था। उसके बाद मै संदिग्ध आरोपी के पास गया तो संदिग्ध आरोपी ने मेरे भाई श्री गिरधारी की 11 बीधा जमीन के नामान्तरण खोलने की ऐवज में 5000 रू और मेरे, मेरी पत्नी व मेरे भाई की पत्नी के नाम शेष 32 बीघा जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में 15,000 रू की रिश्वत की मांग की है। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन मैंने संदिग्ध आरोपी श्री राहुल, पटवारी को मेरे भाई श्री गिरधारी की 11 बीधा जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में उसकी मांग के अनुसार 4500/--रूपये दे दिये थे, संदिग्ध आरोपी ने मुझसे शेष 32 बीघा जमीन का नामान्तरण खोलने के लिए 15,000 रूपये रिश्वत राशी की मांग की है। मेरे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी और श्री उदयपाल कानि. को आवश्यक हिदायत देते हुऐ कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये, जिस पर परिवादी श्री गणेशराम ने आवश्यक निजी कार्य होने से कार्यालय उपस्थित आने में असर्मथता जाहिर की और दिनांक 27.02.2023 को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बताया। परिवादी श्री गणेशराम को दिनांक 27.02.2023 को प्रातः 10.00 बजे मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई एवं श्री उदयपाल सिंह कानि. को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित लेकर कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात सायं 6.45 बजे श्री उदयपाल सिंह कानि0 550 कार्यालय में उपस्थित आये। श्री उदयपाल सिंह कानि0 ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश करते हुए पूर्व में बताये गये तथ्यों को दोहराते हुऐ अवगत करवाया कि दिनांक 23.02.2023 को संदिग्ध आरोपी व्यस्त होने से परिवादी से नहीं मिला। आज सुबह परिवादी ने संदिग्ध आरोपी को फोन किया तो संदिग्ध आरोपी ने स्वयं को कोरसीना हल्के में ही होना बताया, जिस पर आरोपी ने परिवादी को बताया कि मैं आपकी तरफ ही आ जाउंगा और जगह आपको बता दूंगा। फिर दोपहर में परिवादी के मोबाईल पर संदिग्ध आरोपी का फोन आया और बताया कि मैं आपको आधा घण्टे बाद रिणगी बस स्टेण्ड पर मिलूंगा, जिस पर मैं और परिवादी श्री गणेशराम रिणगी बस स्टेण्ड के पास पहुंच कर संदिग्ध आरोपी के आने का इन्तजार करने लगे। बस स्टेण्ड पर संदिग्ध आरोपी के आने पर दोपहर करीब 01.20 बजे परिवादी के वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था। परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाकर दिया था जिसे मैने बन्द कर मेरे पर सुरक्षित रख लिया था। तत्पश्चात मैं परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर निर्देशानुसार वहां से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आया हूँ। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड परिवादी और संदिग्ध आरोपी की वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सरसरी तौर पर सुना गया तो रिकॉर्डर में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग सम्बन्धित वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया। मन पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी कार्यालय आलमारी में रखा गया। दिनांक 27.02.2023 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री गणेशराम से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने अवगत करवाया कि आज मैं रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण ब्यूरो कार्यालय नहीं आ सकता हूँ। मैं कल दिनांक 28.02.2023 को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यलय में उपस्थित हो जाउंगा, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने एवं कल दिनांक 28.02.2023 को प्रातः 10.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह श्री बोदीलाल शर्मा कनिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम, झालाना डुंगरी जयपुर व श्री गोविन्द पुरोहित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर प्रथम, झालाना डुंगरी को पाबन्द किया गया। दिनांक 28.02.2023 को प्रातः परिवादी श्री गणेशराम के उपस्थित आने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से दिनांक 24.02.2023 को संदिग्ध आरोपी द्वारा की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में पूछने पर परिवादी ने अपने पूर्व में बताये गये तथ्यों को दोहराते हुए श्री उदयपाल सिंह कानि. के कथनों की ताईद की। स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आने पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर उनके समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर की सहायता से

सुनाया जाकर हस्बकायदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। तथा कम्प्यूटर की सहायता से चार सीडियां तैयार की जाकर, तीन सीडियों को शील्ड मोहर किया गया तथा एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुली रखा गया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सील्ड मोहर किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट, सीडियों व मैमोरी कार्ड पर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात प्रातः 11.15 बजे दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गणेशराम पुत्र श्री देवकरण, जाति गुर्जर, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम डोडवाडा, तहसील फुलेरा, जयपुर को संदिग्ध आरोपी श्री राहुल, पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री गणेशराम गुर्जर ने अपने पास से 500–500 रूपये के तीस भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 15,000/–रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उसके बाद उपरोक्त सभी 500–500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 15,000/–रूपये पर फिनोफ्थीलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री मुकेश कानि नं. 100 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थीलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री गणेशराम की जामा तलाशी गवाह श्री गोविन्द पुरोहित, अतिरिक्त प्राशासनिक अधिकारी से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 15,000/–रू0 के नोट सीधे ही श्री मुकेश कानि नं. 100 से परिवादी श्री गणेशराम की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री मुकेश कानि नं. 100 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री मुकेश कानि नं. 100 से कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री मुकेश कानि नं. 100 के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री मुकेश कानि नं. 100 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री उदयपाल सिंह कानि. 550 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात दोपहर 12.30 बजे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी, ट्रैप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी वाहनों से रवाना होकर दोपहर करीब 3.00 बजे कार्यालय पंचायत समिति साम्भर लेक के पास पहुंचे, जहां गोपनीय रूप से मालूमात करवाने पर संदिग्ध आरोपी श्री राहुल पटवारी के अभी पटवारघर में उपस्थित नहीं होने के सम्बंध में ज्ञात हुआ, जिसपर मय हमराहीयान पंचायत समिति साम्भर लेक के आसपास गोपनीय रूप से मुकीम हुए। दोपहर 3.30 बजे गोपनीय रूप से मालूमात करने पर ज्ञात हुआ कि संदिग्ध आरोपी श्री राहुल पटवारी अपने कार्यालय पटवारघर में उपस्थित आ चुका है, जिसपर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह स्वतंत्र गवाहान व टीम को गाडी से नीचे उतरवाकर, पटवारघर कोरसीना के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। श्री उदयपाल सिंह कानि. ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। तत्पश्चात दोपहर 3.40 बजे परिवादी श्री गणेशराम ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विधालय साम्भर लेक के मुख्य द्वार के सामने स्थित पटवारघर से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंची तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया, परिवादी ने साथ–साथ उक्त पटवारघर के अन्दर प्रवेश करते हुए पटवारघर में दाहिनी तरफ कोने में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही राहुल पटवारी हैं जिन्होंने अभी अभी मुझसे मेरे व मेरे परिजनों की जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 15,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे इनके सामने स्थित लकडी की टेबिल पर रखने को कहा तो मैने इनके कहेनुसार इनकी टेबिल पर रूपये रख दिये

उसके बाद इन्होंने रूपयों के उपर कुछ दस्तावेज रखकर उनको ढक दिया था। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने उक्त पटवारघर में दाहिनी तरफ कोने में कुर्सी पर बैठे उक्त व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री राहुल स्वामी पुत्र श्री लालचंद स्वामी, वरिष्ठ पटवारी पटवार हलका दोबडी, अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका कोरसीना, पंचायत समिति साम्भर लेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी–अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी–अभी ये गणेशराम मेरे पास आये थे, मैने इनसे कोई रूपये नहीं लिए हैं ना ही कभी मैने इनसे किसी प्रकार की रिश्वत की मांग की थी। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मेरे व मेरे परिजनों की जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में यह श्री राहुल पटवारी मेरे से 4500 रूपये दिनांक 24.02.2023 को मांग सत्यापन के दौराने ले चुका है तथा 15,000 रूपये रिश्वत के रूप में और मांग की थी जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, इनकी मांग के अनुसार उक्त 15,000 रूपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इसके पश्चात श्री राहुल स्वामी पटवारी ने पूछने पर बताया कि मेरा नाम राहुल स्वामी पुत्र श्री लालचंद स्वामी, जाति स्वामी, उम्र 27 साल, निवासी शीतलामाता की गली, छोटा बाजार, साम्भर लेक, हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार हलका दोबडी, अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका कोरसीना, पंचायत समिति साम्भर लेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर है। तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल स्वामी को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 24.02.2023 को परिवादी श्री गणेशराम व उसके परिजनों की जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में 15,000 रूपये मांगे थे, इस पर आरोपी श्री राहुल स्वामी चुप हो गया।

इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री राहुल स्वामी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री राहुल स्वामी को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.–1 व आर.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री राहुल स्वामी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला हो गया जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व श्री राहुल स्वामी को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री गोविन्द पुरोहित से आरोपी के सामने स्थित उसकी कार्यालय टेबिल की तलाशी लिवाई गई तो टेबिल के उपर कुछ दस्तावेज रखे हुए थे, स्वतंत्र गवाह द्वारा उक्त दस्तावेजों को हटाया गया तो उनके नीचे 15,000 रूपये मिले। उक्त दस्तावेजों में खसरा नं0 523 की खसरा गिरदावरी, ग्राम सरथला पटवार हलका कोरसीना, साम्भर लेक, खाता संख्या 141 व उसकी जमाबन्दी एवं खसरा नक्शा तथा श्री नन्दू देवी पुत्री श्री नाथू निवासी चौहानों का मोहल्ला ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ अजमेर के नाम रजिस्टर्ड बख्शीशनामा की फोटोप्रति है। उक्त खसरा गिरदावरियों पर आरोपी श्री राहुल स्वामी पटवारी द्वारा हस्ताक्षर किये हुए हैं व उसके नीचे दिनांक डाली हुई है। आरोपी के सामने स्थित उसकी कार्यालय टेबिल के उपर उक्त दस्तावेजों के नीचे से 15,000 रूपये मिले, जिनको गिनकर दोनों गवाहान ने 500–500 रूपये के तीस नोट, कुल 15,000 रू0 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से बरामदशुदा उक्त सभी नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 15,000 रू0 के नोट होना पाये गये। बरामद शुदा 15,000/–रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी की कार्यालय टेबिल जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई टेबिल के उक्त स्थान के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर एक रूई के फोव्वे की मदद से उस घोल में आरोपी की कार्यालय टेबिल पर जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई टेबिल के उक्त स्थान को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री राहुल स्वामी को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क टी–1 व टी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त धोवन में प्रयुक्त रूई के फोव्वे को सुखाया जाकर सफेद कागज में लपेटकर उसको एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर कर कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क टी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि के उपर रखे हुए दस्तावेजों के धोवन हेतु पुनः एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर दूसरे रूई के फोव्वे की मदद से उस घोल में आरोपी की कार्यालय टेबिल पर रिश्वत राशि के उपर रखे हुए दस्तावेजों जिनके नीचे से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त दस्तावेजों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री राहुल स्वामी को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त धोवन में प्रयुक्त रूई के फोव्वे को सुखाया

जाकर सफेद कागज में लपेटकर उसको एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर कर कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि के उपर रखे हुए उक्त दस्तावेजों को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जायेगा। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी व उसके परिजनों की जमीन के नामान्तरण से सम्बंधित पत्रावली व रिकॉर्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने श्रीमति मनफूली की ओर से परिवादी की पत्नि श्रीमति अनिता गुर्जर व परिवादी के भाई की पत्नि श्रीमति लक्ष्मी गुर्जर के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटोप्रति तथा उक्त विक्रय पत्र के सम्बंध में नामांकन संख्या 580 दिनांक 27.02.2023 का एलआरसी फोर्म, कुल पेज 1 से 7 तक तथा श्रीमति मनफूली की ओर से ही परिवादी श्री गणेशराम के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटोप्रति पेज संख्या 1 से 5 तक पेश की जिसपर आरोपी श्री राहुल स्वामी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उक्त कार्यवाही फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त पटवारघर सरकारी स्कूल के मुख्य द्वार के सामने व भीडभाड व सघन क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां सम्भावित भीडभाड व अव्यवस्था के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ट्रैपशुदा आरोपी श्री राहुल स्वामी पटवारी मय हमराही जाप्ता, ट्रैप बोक्स, लैपटॉप प्रिन्टर व जब्तशुदा आर्टिकल्स के वहां से रवाना होकर पुलिस थाना साम्भर लेक पहुंची जहां अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी श्री राहुल स्वामी पुत्र श्री लालचंद स्वामी, जाति स्वामी, उम्र 27 साल, निवासी शीतलामाता की गली, छोटा बाजार, साम्भर लेक, हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार हलका दोबडी, अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका कोरसीना, पंचायत समिति साम्भर लेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व आरोपी श्री राहुल स्वामी पटवारी के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 28.02.2023 को हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु चार खाली सीडीयां मंगवायी जाकर चारों सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी–बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार अलग–अलग सीडियां तैयार की गई तथा तीन सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर एक खाली माचिस की डब्बी में रखकर उसको एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्किप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने कार्यवाही आरोपी से जब्त किये गये परिवादी के नामान्तरण कार्य से सम्बंधित दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि श्रीमति मनफूली की ओर से परिवादी की पत्नि श्रीमति अनिता गुर्जर व परिवादी के भाई की पत्नि श्रीमति लक्ष्मी गुर्जर के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नामान्तरण के सम्बंध में आरोपी पटवारी द्वारा एलआरसी फार्म पर नामांकन संख्या 580 दिनांक 27.02.2023 में उक्त इन्द्राज किया गया है जिसपर पटवारी की रिपोर्ट की जाकर पटवारी के हस्ताक्षर होने थे, जो नहीं की गई है ना ही किसी के हस्ताक्षर हैं, आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेने के लिए उक्त रिपोर्ट पैण्डिंग रख रखी थी। तथा श्रीमति मनफूली की ओर से ही परिवादी श्री गणेशराम के नाम दूसरे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नामांकन के सम्बंध में आरोपी पटवारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री राहुल स्वामी, वरिष्ठ पटवारी पटवार हलका दोबडी, अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका कोरसीना, पंचायत समिति साम्भर लेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री गणेशराम व उसके परिजनों के नाम ग्राम डोडवाडा, तहसील फुलेरा में स्थित जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 24.02.2023 के अनुसार मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 4500 रूपये प्राप्त करना तथा 15,000 रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर और मांग करने तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 28.02.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी से उक्त 15 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये पकड़े जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम 1988 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री राहुल स्वामी पुत्र श्री लालचंद स्वामी, जाति स्वामी, उम्र 27 साल, निवासी शीतलामाता की गली, छोटा बाजार, साम्भर लेक, हाल वरिष्ठ पटवारी पटवार हलका दोबडी, अतिरिक्त चार्ज पटवार हलका कोरसीना, पंचायत समिति साम्भर लेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

(मीना वर्मा)
पुलिस निरीक्षक
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीना वर्मा, पुलिस निरीक्षक, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल स्वामी, वरिष्ठ पटवारी, पटवार हल्का दोबडी अतिरिक्त चार्ज कोरसीना, पंचायत समिति सांभर लेक, तहसील फुलेरा जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 52/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

1.3.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 408-11 दिनांक 01.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

1.3.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।